

1	विभाग का नाम	कृषि
2	योजना का नाम	एकीकृत धान्य विकास कार्यक्रम
3	योजना की संक्षिप्त टिप्पणी	योजना के अन्तर्गत धान/गेहूँ के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हेतु 50: अनुदान पर प्रमाणित एवं संकर बीज उपलब्ध कराना एवं जिंक सल्फेट, सूक्ष्म पोषक तत्वों के वितरण पर भी 50: अनुदान दिया जाता है।
4	पात्रता की अर्हता	समस्त कृषक
5	आवेदन करने की प्रक्रिया	ऑनलाईन आवेदन से किसान पादर्शी पोर्टल पर पंजीकरण तथा चयन उपरान्त आवेदन फार्म सम्बन्धित विकास खण्ड पर स0वि0अ0कृषि के माध्यम से
6	लिंक वेबसाइट	http://upagriculture.com/
7	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के जिला कृषि अधिकारी अथवा संयुक्त निदेशक कृषि, मेरठ मण्डल से सम्पर्क किया जा सकता है ।